SHRI DINEN BHATTACHARYYA: At the present moment, there is a four tier system, so far as the settlement on any matter regarding the labour dispute is concerned. First, there is the tribunal, then the party which is not satisfied with the tribunal goes to the High Court and from the High Court, they go to the Supreme Court. My question is in respect of the Supreme Court. I want to know whether any special Bench is there to deal with the labour matters. So far as my knowledge goes, it takes not less than five years for the disposal of a case. If that is so, may I know whether the Government can set up a separate Bench to deal with the labour appeals.

SHRI RAVINDRA VARMA: I have already answered this question. If you want, I shall repeat my answer.

MR. SPEAKER: You answered the question put by another hon. Member. Now, Mr. Dinen Bhattacharyya puts it. You must answer it. He will not accept a second-hand answer.

SHRI RAVINDRA VARMA: I cannot give two answers to the same question.

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मन्त्री महोदय की आज की घोषणा के बाद या इस प्रोसीजर को बताने क बाद जो लेबर के लिए जस्टिस होगा उसमें कोई ज्यूडीशियल डिले कम हो जाएगी ?

SHRI RAVINDRA VARMA: I have already said that we hope to introduce a comprehensive legislation on this question.

SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHAR: What is the total number of cases pending in the tribunals at the appeal stage and at the other stages?

SHRI RAVINDRA VARMA: If the hon. Member wants to know about any tribunal, I can give the answer. But there are many tribunals and if you think fit then I can read out the figures for all of them.

MR. SPEAKER: It may be a long answer in that case.

केन्द्रीय व क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों के लिए भवन निर्माण

*265. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या केन्द्रीय व क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों में 400 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं और 36 हजार रुपया मासिक किराया देते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कुल कितना किराया दिया गया है और उस राशि से अपना कार्यालय भवन न बनाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या कार्यालय भवन स्टाफ क्वार्टर्स के साथ ही बनाया जायेगा ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) The present staff strength of Central and Regional Offices, Delhi is 482. A monthly rent of Rs. 32,900 is being paid for both offices.

(b) and (c). Rs. 18.11 lakhs during the last five years was paid. Land was allotted for construction of the buildings on two occasions in the past but they were cancelled. Efforts are being made to procure suitable land for construction of office buildings.

(d) The location of the office building will depend on the site of land to be allotted by the Delhi Development Autthority.

श्री शिव नारायण सरसूनिया : मैं मन्त्री महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि लगभग 8 लाख रु० पड़ा रहा और 32 हजार रु०

इतने से कर्मचारियों के लिये रेंट देते रहे और उन को प्लाट नहीं दिया । जो प्लाट उनके लिये रखा गया था वह कांग्रेस को बाद में दे दिया गया और अभी तक उनको प्लाट अलौट नहीं हुआ है । तो क्या जो उनके लिये पहले से प्लाट था वह उसको रेस्टोर कराया जायगा और जो इतने दिनों तक रुपया पड़ा रहा जिस पर वर्क्स मन्त्रालय से इंटरेस्ट नहीं मिला, वह इंटरेस्ट भी दिलायेंगे ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Sir, as the hon. Member has said, on two occasions, land was allotted for the purpose, but, unfortunately, on both the occasions, the allotment was cancelled. In one case, the land was near Lodi Road which was cancelled, for one reason or another. In another case, the land was near the Barakhamba Lane, which too was cancelled after allotment was cancelled. I do not know whether it was cancelled so that the land might be given to the Congress Party, but it was not a part of the question . As far as the other question he asked is concerned, it is true that after receiving allotment, the Provident Fund organisation spent quite a lot of money both to pay for the premium of the land and also for abolition of some of the buildings that existed there so that construction might take place. Rs. 3.30 lakh has been paid to the Government and the Government has been requested for reimbursement of this amount and the interest but that has not been paid yet. Now, in view of what the hon. Member has said I can make an enquiry and find out whether it is a fact that the allotment was cancelled so that it might be given to somebody else.

श्री शिव नारायण सरसूनिया : उनको इंटरेस्ट नहीं मिला जो रुपया इतनी देर तक पड़ा रहा, यह मैंने पूछा था । उस बारे में आपका क्या विचार है । दूसरे यह कि क्योंकि उनको पजेशन नहीं दिया गया वह प्लाट कैंसिल करके कांग्रेस को दिया गया ।

SHRI RAVINDRA VARMA: I have answered and said that this amount has not been returned in spite of the requests.

श्री राम मूर्ति : मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय के स्तर पर कोई कमेटी बना दी जाय जो इस तरह के केसेज का निरीक्षण करे और भविष्य में इस तरह पैसे की बरबादी न हो इस बारे में विचार करेंगे ?

SHRI RAVINDRA VARMA: This is a suggestion.

Non-use of National language for official work in Indian Embassies abroad

*266. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a foreign language viz., English is used by India for official work as well as in propagating Indian culture;

(b) whether foreigners ridicule us for using a foreign language and for neglecting national languages of India viz., Hindi, Bengali, Tamil Marathi etc. if so, the immediate steps proposed to be taken for changing this practice;

(c) whether the higher officers in Indian embassies deliberately neglect the national language because in India itself it is not shown due respect; and

(d) if so, the steps being taken by Government in this direction?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) हिन्दी का प्रयोग प्रगामी रूप से बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन इस समय विदेश स्थित हमारे मिशनों में कामकाज में व्यापक रूप से अंग्रेज़ी का ही प्रयोग किया जाता है ।

(ख) अंग्रेजी के प्रयोग की वजह से कहीं उपहास किये जाने की कोई घटना तो हमारी जानकारी में नहीं आयी है, लेकिन राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को अत्यधिक प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है ।

(ग) और (घ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को स्थाई होने से पहले राज-भाषा की एक विभागीय परीक्षा पास करनी होती है। भारत की राष्ट्रीय-भाषाओं के प्रति किसी तरह का कोई अनादर नहीं दिखाया गया है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मन्त्री महोदय को यह बात पता है कि नेपाल, जिसकी अपनी भाषा की लिपी भी देवनागरी है, उस को भारत सरकार की जितनी भी मदद मिली है, उन सारी कार्यवाहियों के अंग्रेजी में होने के कारण नेपाल से हिन्दी की पढ़ाई प्राय: समाप्त हो गई है, और उन लोगों को बाध्य होकर अंग्रेजी पढ़ने के लिये स्कूल और कालेजों में व्यवस्था करनी पड़ी है ?

जैसा कि आपने कहा दूतावासों में उपेक्षा भी है हीं, कुछ लोग हिन्दी का व्यवहार भी करना चाहते हैं तो उन को टंकण की आपूर्ति भी नहीं की जाती है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार की नीति, भारत में और भारत के बाहर भी, हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने की है। विदेशों के साथ जो संधियां होती है, अब अंग्रेजी के साथ उन्हें हिन्दी में भी किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : कब से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : काफी समय हो गया।

विदेशों में जो हमारे मिशन है, उन के नामों के पट्ट हिन्दी और अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में रहे, इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। हमारे राजदूत, गैर-अंग्रेजी भाषी देशों में जब अपने परिचय पत्र पेश करते हैं तो उन से कहा गया है कि वे हिन्दी में बोले, क्योंकि अंग्रेजी में बोलने के बाद भी उसका अनु-वाद करना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि वह हिन्दी का प्रयोग करें।

जहां तक नेपाल का संबंध है, नेपाल और भारत के बीच में कोई भाषा संबंधी कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिये। जो परियोजनायें हमने नेपाल में शुरु की हैं, और जहां हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन के बच्चों के लिये केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें हिन्दी के पटनपाठन की पूरी व्यवस्था है। अगर माननीय सदस्य को कोई विशेष शिकायत हो तो बता सकते हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार उन परि-योजनाओं को जमाने में जो मदद करती है और जो काम होता है वह अंग्रेजी में करती है जिसके कारण उन्हें हिन्दी की पढ़ाई से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिये बाध्य होना पड़ा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न समझने में मैं असमर्थ हूं कि हम अपना काम अंग्रेजी में करते हैं, इसलिए उन्होंने हिन्दी की पढ़ाई छोड़ दी है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : भारत सरकार की मदद पर नेपाल सरकार के काम चलते हैं। सारा का सारा काम अंग्रेजी में होने के कारण, जो हिन्दी की पढ़ाई करते थे, वह भी हिन्दी छोड़ चुके हैं, क्योंकि हिन्दी का उपयोग नहीं होता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कहना ठीक नहीं होगा कि नेपाल का सारा कामकाज हमारी मदद से चल रहा है। हम नेपाल को सहायता दे रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : आपकी सरकार अंग्रेजी में काम क्यों करती है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी संसद् ने जो कानून बनाया है, उसके अनुसार

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों राजकीय भाषाएं हैं। जो कर्मचारी हिन्दी में काम करना चाहते हैं, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं है, मगर हम किसी को हिन्दी में काम करने के लिए विवश नहीं कर सकते। अगर संसद् चाहे तो यह कानून बदल सकती है और सरकार उसका पालन करे।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि हिन्दी और अंग्रेजी। वे यह कह सकते हैं कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के अन्दर वे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हिन्दी में काम करें। लेकिन यह नहीं कह सकते कि अंग्रेजी चले, उसको न रोका जाये। संविधान की यह इच्छा है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा एक निश्चित काल में बनावें और सरकार उस रास्ते पर नहीं चलती। मंत्री महोदय ने हिन्दी के विरोध में और राष्ट्रभाषा के विरोध में बयान दिया है।

MR. SPEAKER: There is no point of order in that.

Mr. Yadav will put his second question.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने बताया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी के प्रयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। नागपुर और मारीशस में होने वाले दो विश्व हिन्दी सम्मेलनों में प्रतिनिधियों ने यह आकांक्षा प्रकट की है कि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बने, लेकिन इसकी पहल भारत सरकार को करनी पड़ेगी। इस विषय में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब से विदेश मंत्रालय का भार मैंने संभाला है, उसमें हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ा है। पहली बार विदेशी मेहमानों से, जो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, मैंने हिन्दी में बातचीत करना प्रारम्भ किया है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को लाने का प्रश्न है, मैं तो चाहूंगा कि वहां हिन्दी आये और मेरी इच्छा है कि वहां पर मैं पहला भाषण हिन्दी में करूं। लेकिन वित्त मंत्रालय को मेरी मदद के लिए आना होगा—6 करोड़ रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आत्म-सम्मान की दृष्टि से यह खर्चा अधिक नहीं है। अगर सदन सारा ज़ोर लगा कर वित्त मंत्री से कहे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

SHRI A. E. T. BARROW: I am grateful to the Hon. Minister Shri Vajpayee for not accepting that English is a foreign language. I would ask him to remember that English is the mother-tongue of my Community which is an Indian community and, therefore, it is the mother-tongue of the Indian community and not a foreign language.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, no question has been put.

श्री जनेश्वर मिश्र : मंत्री महोदय ने कहा है कि विदेशों में भारत के जो दूतावास हैं, वहां भारतीय भाषाओं को, और विशेषकर हिन्दी को, ज्यादा प्रोत्साहन दिया जायेगा। हमारे जो राजदूत या उच्चाधिकारी, जो जो हिंदी जानते हैं, और जान-बूझ कर विदेशी नक्शेबाजी के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या विदेश मंत्री उन के खिलाफ़ कोई कार्यवाही करेंगे ? मंत्री महोदय ने कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना प्रथम भाषण हिन्दी में देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वित्त मंत्री की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या माननीय वित मंत्री ने उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में बोलने के कारण जो खर्चा बढ़ रहा है, वह खर्चा देने से इन्कार किया है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दूं। अभी न तो

इन्कार किया है और न इकरार किया है । मामला विचाराधीन है । जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, हमारे राजदूत अंग्रेजीमय वातावरण की उपज हैं । मुझे यह देख कर खेद हुआ कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती है, जहां अरबी, फ्रेंच या स्पेनिश चलती है, वहां भी हमारे अनेक राजदूत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं । हम चाहते हैं कि हमारे राजदूत जिस देश में रहें, वहां की भाषा को जानें और उसका प्रयोग करें । हिन्दी जानने वाले जब उनसे बात करने के लिए आते हैं, तो वे हिन्दी में बोलें । लेकिन मैं सजा से प्रारम्भ नहीं करना चाहता हूं । पहले मैं समझाने-बुझाने से काम लेने में विश्वास करता हूं ।

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: May I know whether the intention of the Government is that our Embassies in foreign countries should use whichever language they understand so that we can carry on our business in those countries, rather than impose Hindi on them as is being attempted in India today, and also to avoid such a situation as was cartooned in yesterday's *Times of India* about a letter being sent to the Kerala Government in Hindi and the reply being given in Malayalam?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There is no intention of imposing Hindi on any part of India. But I would like my non-Hindi speaking friends to understand that they should not impose English either on any part of the country. No imposition either of Hindi or of English. Those who want to work in Hindi should be free to do so.

So far as foreign embassies are concerned, our attempt is that they should work in the language of the country in which they are stationed.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गैर-अंग्रेजी भाषी जितने देश हैं जहां पर फ्रेंच, स्पेनिश या अरबी बोली जाती है, वहां के हमारे राजदूतावासों में जितने दुभाषिये हैं वे भी सिर्फ अंग्रेजी और उस देश की भाषा में बात करते हैं, तो कम से कम उन देशों में जहां पर कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, अंग्रेजी में बात नहीं करता, जो हमारे दुभाषिये रखे जायें वे तो ऐसे होने चाहिएं जो हिन्दी और उस देश की भाषा में बात कर सकें और उसे समझने हों, क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां पर ऐसे दुभाषिये रखे जाएंगे जो उस देश की भाषा और हिन्दी में बात कर सकें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सचाई तो यह है कि विदेश मंत्रालय में अभी तक दुभाषियों का इन्तजाम करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । जब मैंने विदेशी मेहमानों से बात करने का निश्चय किया और दुभाषियों की आवश्यकता पड़ी तो हमारा मंत्रालय दुभाषिये नहीं दे सका, इसलिए हमें किसी विश्वविद्यालय से या बाहर से प्रशिक्षण प्राप्त दुभाषियों का उपयोग करना पड़ा । विदेशी दूतावासों में भी हम चाहते हैं कि दुभाषिये रहें और वे ऐसे दुभाषिये हों जो हिन्दी से अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश आदि में भाषान्तर कर सकें । अभी तक इसका प्रबन्ध नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी किया जाये, यह हमारी कोशिश है ।

SHRI A. C. GEORGE: The Gulf countries, of late, are developing as the most potential territories in our international relations. It is widely known that a very sizeable majority of the population of Indians in the Gulf countries are from Kerala and now-a-days even the rulers and the Sheikhs are understanding Malayalam language. Will the hon. Minister kindly see that the Embassies in these countries use Malayalam as the official language?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I do not know, if the hon. Member is making this suggestion seriously. I can

understand one member of the staff knowing Malayalam language in order to deal with those people who go from Kerala, but the entire mission cannot conduct its business in Malayalam.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की इतनी बड़ी आबादी में कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी जानकारी नहीं देना चाहता जो गलत साबित हो और इसलिए मुझे सूचना मिले तो मैं सही जानकारी एकत्र करके इसका उत्तर दे सकूंगा ।

Many hon. Members *rose*.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: We send our questions and our names come in the ballot, but we do not get a chance because the priority in the Question List may be low. I would, therefore, request that more questions may be covered in the Question Hour.

MR. SPEAKER: How can I stop Members wanting to ask questions which they consider important?

Now, Shri Chandrappan.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I would like to know from the hon. Minister whether it is necessary at all to take a very rigid stand on the language which our personnel employed in the Embassies should follow because there are, as I understand, languages which are internationally accepted by the United Nations for dealing in international matters. I think without taking a rigid position if the Government takes the position that a practical point of view will be taken in so far as language is concerned, it will help the country. Will the Minister accept this suggestion? That is my question.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The suggestion will be given due consideration.

MR. SPEAKER: May I now go to the next question because there are a number of important questions? If all of you get up, I am helpless.

नर्सों से प्रतिभूति राशि लिया जाना

*267. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षण काल मे नर्सों से ली जाने वाली प्रतिभूति राशि न लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरगोविन्द वर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था न होने से नर्सेज की ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत हो रही है । आज पूरे देश में नर्सेज और कम्पाउण्डर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में बहुत दिक्कत हो रही है । अस्पतालों में जाइये तो वहां कोई सुविधा नहीं मिलती है, मरीज़ खड़े रहते हैं— मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री राजनारायण : वास्तव में मुल्क के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है । नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिये जिन-जिन मुख्य पाठ्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, वे इस प्रकार हैं :—

1. जनरल नर्सिंग,
2. वार्ड सिस्टर-कम-सिस्टर टियूटर कोर्स,